

प्रकरण क्रमांक : 15/2015

संस्थापन दिनांक : 10.06.2015

1—श्रीमती क्रांतिबाई पुत्री श्रीराम पत्नि जितेन्द्र सिंह आयु 26 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम सुपावली जिला ग्वालियर म0प्र0 हाल निवासी पुराना घनश्यामपुरा वार्ड क्र01 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

2—कु0 मनोरमा पुत्री जितेन्द्र सिंह आयु 4 वर्ष ना0बा0 सरपरस्त मां क्रांतिबाई पत्नि जितेन्द्र सिंह मां खुद निवासी हाल पुराना घनश्यामपुरा वार्ड क्र01 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— आवेदकगण

बनाम

जितेन्द्र सिंह पुत्र विद्याराम आयु 28 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम सुपावली थाना विजोली जिला ग्वालियर म.प्र.

— अनावेदक

(आवेदन अंतर्गत धारा 125 द.प्र.सं.)

(आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री दिनेश गुर्जर)

(अनावेदक— एकपक्षीय)

आदेश

(आज दिनांक 04-12-2017 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 125 द0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।
2. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि, आवेदिका क्र01 क्रांतिबाई की शादी अनावेदक जितेन्द्र के साथ लगभग 9 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी में क्रांति के पिता ने 60 हजार रुपये नगद एवं कूलर, पंखा, अलमारी, कुर्सी, पंलग इत्यादि सारा सामान दिया था जिसे अनावेदक जितेन्द्र व उसके पिता विद्याराम अपने साथ ग्राम सुपावली ले गए थे। शादी के बाद से ही अनावेदक ने आवेदिका क्रांति को हैरान परेशान करना शुरू कर

दिया था अनावेदक आवेदिका से अपने पिता के यहां से मोटरसाइकिल लाने के लिए कहता था अनावेदक आवेदिका से कहता था कि अपने पिता के यहां से मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो तभी मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। आवेदिका के पिता की सामर्थ्य मोटरसाइकिल देने की नहीं थी। शादी के तीन साल बाद आवेदिका क्रान्ति गर्भवती हुई थी तो अनावेदक एवं उसकी मां शीलाबाई ने आवेदिका से गर्भपात कराने के लिए कहा था जिस पर आवेदिका सहमत नहीं हुई थी तो अनावेदक ने उसे दाम्पत्य सुख से वंचित कर दिया था। अनावेदक आवेदिका क्रान्ति को मारपीट करके बिना किसी कारण आवेदन प्रस्तुत करने के चार वर्ष पूर्व उसके पिता के यहां छोड़ गया था। गोहद शासकीय जच्चाखाने में आवेदिका क्रान्ति ने आवेदिका क्र02 मनोरमा को दिनांक 6.09.10 को जन्म दिया था प्रसव के समय आवेदिका के ससुराल का कोई भी व्यक्ति आवेदिका को देखने नहीं आया था प्रसव का पूरा खर्च आवेदिका के पिता द्वारा वहन किया गया था। आवेदिका क्रान्ति एवं उसके पिता ने कई बार अनावेदक व उसके परिवार वालों से आवेदिका को ससुराल ले जाने के लिए कहा था परंतु अनावेदक नहीं आया था आवेदिका के पिता दो बार पंचायत लेकर ग्राम सुपावली भी गए थे फिर भी अनावेदक आवेदकगण को लेने नहीं आया था। आवेदिका बेरोजगार है उसके भरण पोषण के लिए आय को कोई साधन नहीं है। आवेदिका के पिता 66 वर्षीय वृद्ध मजदूर हैं। आवेदकगण के पास भरणपोषण का कोई साधन नहीं है। अनावेदक के पिता के नाम 15 बीघे कृषिभूमि है अनावेदक ड्राइवर होकर वाहन चलाने का धंधा करता है। अनावेदक की स्वयं की एक ऑटो गाड़ी है। अनावेदक उक्त व्यवसाय से दस हजार रुपये कमा लेता है। दिनांक 08.06.15 को आवेदिका क्रान्तिबाई के पिता आवेदिका को लेकर ग्राम सुपावली गए थे लेकिन अनावेदक ने आवेदिका को रखने से इंकार कर दिया था और कहा था कि जब तक मोटरसाइकिल नहीं दोगे तब तक नहीं रखूंगा। अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरणपोषण नहीं किया जा रहा है अतः आवेदकगण को अनावेदक से पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरणपोषण दिलाने की कृपा करें।

3. अनावेदक द्वारा आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि अनावेदक की आवेदिका क्रान्ति से दान दहेज रहित शादी हुई थी। अनावेदक आवेदिका के साथ स्नेहपूर्वक दाम्पत्य संबंधों का निर्वाह करता रहा है आवेदिका के पुत्री होने पर संपूर्ण खर्च अनावेदक द्वारा वहन किया गया था। अनावेदक आवेदिका को लेने कई बार अपने रिश्तेदारों को लेकर गोहद आया था किंतु आवेदिका अपने पिता के कहने में आकर अनावेदक के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। आवेदिका पूर्ण स्वस्थ होकर सिलाई का कार्य करके आय अर्जित करती है। अनावेदक के पिता के पास कुल 3 बीघे कृषिभूमि है। अनावेदक के नाम से कोई ऑटो गाड़ी नहीं है वह दूसरों की गाड़ी पर मजदूरी करता है। अनावेदक वर्ष 2007 से अपनी पत्नि के साथ मुरार किराए से रह रहा है आवेदिका कभी भी उसके परिवार के साथ नहीं रही है। डिलीवरी के दौरान आवेदिका जिद करके अपने पिता के यहां चली गई थी अनावेदक भी एक-दो माह तक उसके साथ रहा था डिलीवरी का पूरा खर्च अनावेदक ने वहन किया था। डिलीवरी के एक दो माह बाद अनावेदक आवेदिका को लेने गोहद आया था तो आवेदिका के पिता ने अनावेदक की जूतों से मारपीट की थी और उसे भगा दिया था अनावेदक ने कई बार आवेदिका को साथ ले जाने के लिए रिश्तेदारों के माध्यम से पंचायत जोड़ी थी किंतु आवेदिका के पिता ने आवेदिका को अनावेदक के साथ भेजने से मना कर दिया था आवेदिका अपनी मर्जी से अपने मायके में निवासरत है आनवेदक आवेदिका को अपने साथ रखने को तैयार है। आवेदिका द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. प्रकरण में विचारण के दौरान अनावेदक के अनुपस्थित रहने के कारण अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
5. उपरोक्त अवलोकन से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं कि :-
 1. क्या आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत हैं ?
 2. क्या आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
 3. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
 4. क्या अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण किये जाने में उपेक्षा बरती जा रही है ?
 5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदिका द्वारा आवेदिका स्वयं आ0सा01 एवं छोटेलाल अ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबकि अनावेदक की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 //

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका क्रांति अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि उसकी शादी उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दस वर्ष पहले जितेन्द्र के साथ हुई थी शादी के बाद वह अपनी ससुराल सुपावली गई थी शादी में उसके मां-बाप ने उसे कूलर, पंखा, अलमारी सहित सभी गृहस्थी का सामन एवं साठ हजार रुपये नगद दिए थे। शादी के बाद जब वह अपनी ससुराल पहुंची थी तो ससुराल वालों ने उससे कहा था कि शादी में गाड़ी नहीं मिली है जिस पर उसने कहा था कि उसकी स्थिति गाड़ी देने लायक नहीं है। जितेन्द्र ने उससे कहा था कि जब तुम गाड़ी लेकर आओगी तभी तुम्हें रखेंगे फिर वह अपनी ससुराल आती जाती रही थी इसी बीच उसके गर्भ ठहर गया था जितेन्द्र ने उससे अपना गर्भ गिराने के लिए कहा था तो उसने गर्भ गिराने से मना कर दिया था इसके बाद जितेन्द्र ने उसे घर से निकाल दिया था फिर वह अपने मां-बाप के पास आ गई थी उसके मां-बाप दो बार पंचायत लेकर उसकी ससुराल गए थे परंतु उसकी ससुराल वालों ने उसे नहीं रखा था वह अपने मन से ससुराल चली गई थी तो जितेन्द्र और उसके मां बाप ने उसे मारकर भगा दिया था तभी से वह अपने मायके में रह रही है।
7. आवेदिका साक्षी छोटेलाल अ0सा02 ने भी आवेदिका क्रांतिबाई अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि जितेन्द्र और उसके घरवाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे वह मोटरसाइकिल नहीं दे पाया था इसी कारण जितेन्द्र और उसके परिवार वाले क्रांति के साथ मारपीट करते थे क्रांति वर्ष 2011 से अपनी पुत्री के साथ मायके में ही रह रही है।
8. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका क्रांति आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया गया है कि शादी के बाद अनावेदक जितेन्द्र उससे गाड़ी की मांग करता था तथा इसी कारण उसकी मारपीट करता था एवं जब वह गर्भवती हुई थी तो अनावेदक ने उससे गर्भ गिराने के लिए कहा था एवं उसने गर्भ गिराने से मना कर दिया था तो जितेन्द्र ने उसे घर से निकाल दिया था तब से वह अपने मायके में ही रह रही है। अनावेदक द्वारा आवेदिका के उक्त कथनों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। यद्यपि अनावेदक द्वारा अपने उत्तर आवेदन में यह अभिकथन किया गया है कि आवेदिका द्वारा उस पर असत्य आरोप लगाये गये हैं एवं आवेदिका अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही है तथा जब वह आवेदिका को लेने

गय था तो आवेदिका के पिता ने उसकी मारपीट कर उसे भगा दिया था परन्तु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य अनावेदक द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अनावेदक का यह अभिकथन कि आवेदिका अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही है स्वीकार योग्य नहीं है।

9. आवेदिका क्रान्ति अ0सा01 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि वह अनावेदक द्वारा गाडी की मांग करने तथा मांग की पूर्ति न होने पर घर से निकाल दिए जाने के कारण अपने माता-पिता के यहां रह रही है। अनावेदक द्वारा आवेदिका के उक्त कथनों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। आवेदिका क्रान्ति आ0सा01 का उक्त कथन तात्विक बिन्दुओं पर मूल आवेदन से भी पुष्ट रहा है। अनावेदक द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदिका की अखण्डनीय रही साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। फलतः प्रकरण में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आवेदिका अनावेदक द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण एवं अनावेदक द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिए जाने के कारण अनावेदक से प्रथक निवास कर रही है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदिका अनावेदक से पर्याप्त कारणों से पृथक निवास कर रही है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02 //

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका क्रान्ति आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि वह पढीलिखी नहीं है वह कोई काम नहीं जानती है तथा अनावेदक उसे व उसकी बच्ची को पैसे नहीं भेजता है। साक्षी छोटेलाल अ0सा02 जो कि आवेदिका का पिता है ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि क्रान्ति पढी लिखी नहीं है वह कोई काम नहीं जानती है। क्रान्ति और उसकी पुत्री का भरणपोषण वह ही करता है। अनावेदक द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। यद्यपि अनावेदक द्वारा अपने उत्तर आवेदन में यह वर्णित किया गया है कि आवेदिका सिलाई का कार्य करके आय अर्जित करती है परन्तु उक्त अभिकथन के समर्थन में कोई साक्ष्य अनावेदक द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आवेदिका सिलाई का कार्य करके कुछ आय अर्जित करती है तो भी इससे अनावेदक का आवेदकगण को भरण पोषण करने का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है।
11. आवेदिका क्रान्ति आ0सा01 एवं साक्षी छोटेलाल अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि आवेदिका क्रान्ति अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है एवं आवेदकगण का खर्च आवेदिका क्रान्ति के पिता छोटेलाल उठाते हैं। अनावेदक द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। फलतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित पाया जाता है कि आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03 //

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका क्रान्ति आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि अनावेदक जितेन्द्र गाडी चलाता है एवं उक्त कार्य से जितेन्द्र दस हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता है। साक्षी छोटेलाल अ0सा02 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि जितेन्द्र ग्वालियर में टैक्सी चलाता है तथा लगभग 10 हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता है।

13. इस प्रकार आवेदिका क्रान्ति आ0सा01 एवं साक्षी छोटेलाल आ0सा02 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक जितेन्द्र गाडी चलाता है एवं उक्त कार्य से दस हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता है परंतु उक्त संबंध में कोई प्रमाण आवेदिका द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है आवेदिका द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि अनावेदक जो गाडी अथवा टैक्सी चलाता है उसका नंबर क्या है एवं अनावेदक किसकी गाडी चलाता है। आवेदिका द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि द0प्र0सं0 की धारा 125 में जो “पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति” वाक्य का प्रयोग किया गया है उसका अभिप्राय केवल प्रकट सम्पत्ति या यथासाध्य, सम्पदा, राजस्व या निश्चित रोजगार ही नहीं हैं उसमें कमाने की क्षमता का भी समावेश है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ एवं सक्षम शरीर वाला है तो यह माना जायेगा कि उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिये पर्याप्त साधन हैं।
14. भरण पोषण के आदेश हेतु यह कतई आवश्यक नहीं है कि पति सम्पत्ति धारण करता हो जब तक पति शारीरिक रूप से स्वस्थ और कार्य करने तथा कमाने में सक्षम हो पत्नी को सहारा देना उसका कर्तव्य है चाहे वह दिवालिया, विक्षुब्ध, अवयस्क, साधू या सन्यासी ही क्यों न हो। यह एक व्यक्तिगत दायित्व है जो विवाह के क्षण से ही पति के साथ युक्त हो जाता है।
15. यद्यपि आवेदिका द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है अनावेदक द्वारा अपने उत्तर आवेदन में स्वयं यह अभिकथन किया गया है कि वह दूसरों की गाडी पर मजदूरी करता है। अनावेदक स्वस्थचित्त व्यक्ति है एवं मजदूरी करने में सक्षम है यदि अनावेदक महीने में 20 दिन भी मजदूरी करता है तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार हजार रुपये प्रतिमाह कमाने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-04 //

16. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका क्रान्ति आ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह कोई काम नहीं जानती है अनावेदक जितेन्द्र उसे व उसकी बच्ची को पैसे नहीं भेजता है। अतः उसे जितेन्द्र से 5 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलाया जावे। आवेदिका साक्षी छोटेलाल आ0सा02 ने भी उक्त बिन्दु पर आवेदिका क्रान्ति आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है तथा व्यक्त किया है कि जितेन्द्र आवेदिका क्रान्ति व उसकी पुत्री को पैसे नहीं भेजता है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है ना ही अनावेदक का ऐसा कहना है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है।
17. आवेदिका क्रान्ति अनावेदक की विवाहिता पत्नी है एवं आवेदिका क्र02 मनोरमा अनावेदक की पुत्री है। पति एवं पिता होने के नाते अनावेदक का यह धार्मिक एवं पुनीत कर्तव्य है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करे अनावेदक द्वारा अपने इस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है अतएव आवेदकगण को अनावेदक से भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान समय की मंहगाई आवेदकगण के दैनिक खर्च, आवेदिका मनोरमा की पढाई लिखाई एवं अनावेदक की आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका क्रान्तिबाई को अनावेदक से एक

हजार रुपये एवं आवेदिका मनोरमा को अनावेदक से एक हजार रुपये कुल दो हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

18. फलतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से प्रतिमाह आवेदिका कान्ति को एक हजार रुपये एवं आवेदिका मनोरमा को एक हजार रुपये कुल दो हजार रुपये की राशि भरण पोषण के रूप में अदा करें।

स्थान—गोहद

दिनांक—04.12.2017

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)